

तुलनात्मक स्टेटमेंट

6/1/2012

क्र. सं.	विधान का नियम	पंजीकरण विधान का वर्तमान प्रावधान	क्र. सं.	विधान का नियम	संशोधित विधान का प्रावधान
1.	11 कार्यकारिणी का गठन	संस्था के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिये एक कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे। 1. अध्यक्ष - एक 2. उपाध्यक्ष- एक 3. मंत्री- एक 4. कोषाध्यक्ष- एक 5. सदस्य- सात	1	11 कार्यकारिणी का गठन	संस्था के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिये एक कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। जिसमें पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे। 1. अध्यक्ष - एक 2. उपाध्यक्ष- एक 3. सचिव- एक 4. कोषाध्यक्ष- एक 5. सदस्य- ग्यारह जिसमें से जिला शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालय का प्रधानाध्यापक पदेन सदस्य होंगे। इस प्रकार प्रबंध कार्यकारिणी के चार पदाधिकारी व 11 सदस्य कुल 15 होंगे।



राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 की धारा 19 के अन्तर्गत यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रादी संस्था के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये पत्र जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ संख्या.....61.....से..... तक के उपलब्ध हैं, की प्रमाणित प्रति हैं।
प्रमाणित प्रति देने की दिनांक 7⁵ 2012 नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार संस्थाएं
श्रीगंगानगर

अध्यक्ष

अध्यक्ष

गोल्डन रेज श्री मोहनलाल चन्देल
मैमोरियल शिक्षण समिति
श्रीगंगानगर

मंत्री

मंत्री

गोल्डन रेज श्री मोहनलाल
चन्देल मैमोरियल शिक्षण समिति
श्रीगंगानगर

कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

गोल्डन रेज श्री मोहनलाल
चन्देल मैमोरियल शिक्षण समिति
श्रीगंगानगर